भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 943

मंगलवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीवीटीजी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा योजना का विस्तार</u>

943. श्री रविचंद्र वद्दीराजूः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेष रूप से तेलंगाना के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीओ) क्षेत्रों में बिजली की पहुंच की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए, इन क्षेत्रों के लिए नई सौर ऊर्जा योजनाओं को वर्तमान वित्तीय परिव्यय से आगे भी विस्तारित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस कार्यक्रम के भावी विस्तार के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) क्या तेलंगाना में पीवीटीओ क्षेत्रों के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) में सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए विशिष्ट समयसीमा और मानदंड तय किए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा चिह्नित तेलंगाना राज्य सहित देश के जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान द्वारा एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों (एचएच) का विद्युतीकरण।
ii. 1500 बहुउद्देश्यीय केन्द्रों (एमपीसी) में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था प्रदान करना।
iii. ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण।

योजना के तहत ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली केवल वहीं प्रदान की जाएंगी जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 27.11.2024 तक तेलंगाना राज्य से 326 परिवारों (एचएच) सहित कुल 9863 परिवारों को स्वीकृति दी गई है। अतः योजना के तहत योग्य परिवारों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

(ग) इस योजना में वर्ष 2025-26 तक तेलंगाना राज्य में एमपीसी सहित 1500 एमपीसी में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके लिए 1 लाख रु. प्रति एमपीसी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अब तक, मंत्रालय को योजना के तहत एमपीसी के सौरीकरण के लिए तेलंगाना राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****